

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

निम्नांकित व्याख्याता राजनीति विज्ञान (स्कूल शिक्षा) की हज यात्रा/विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है-

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	यात्रा स्थल	विदेश में रहने की अवधि
1	विजेन्द्र सिंह गोदारा-असाडा, बाड़मेर	03.04.1974	सिंगापुर	19.08.19 से 26.08.19
2	नत्थु मोहम्मद शेरानी-सागु बड़ी, डीडवाना, नागौर	12.09.1966	सऊदी अरब	29.07.19 से 06.08.19

- विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे।
- विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में आवेदित अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि राज्य सरकार की अनुमति बिना स्वीकृति नहीं होगी तथा निर्धारित तथा निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नहीं आने पर सी.सी.ए. नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- विदेश से भेजा गया "त्यागपत्र" स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जायेगा एवं न ही राजकीय स्रोत से इन्हें कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
- उक्त कर्मचारी सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश को प्रस्थान करेंगे। अवकाश समाप्ति के तत्काल पश्चात संस्था में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से देनी होगी। एक बार में स्वीकृत अवकाश को आगे बढ़ाया नहीं जायेगा।
- विदेश प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
- विदेश प्रवास के दौरान जहाँ-जहाँ पर रहेंगे उनके पते इस विभाग को तुरन्त अवगत करावें।
- विदेश प्रवास के दौरान किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगे।
- यात्रा का समस्त खर्चा स्वयं के द्वारा वहन किया जावेगा।
- (अ) सक्षम अधिकारी द्वारा विदेश जाने हेतु जब भी अवकाश स्वीकृत किया जावे उससे पूर्व यह पुष्टि आवश्यक रूप से कर लें कि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित/विचाराधीन नहीं है।
(ब) कर्मचारी के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक वाद लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
(स) कर्मचारी के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का कार्य प्रभावित नहीं हो।
(द) कर्मचारी द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों को हस्तान्तरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।



(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक,


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-6/राजविज्ञान/विदेश अनुज्ञा/17 दिनांक:- 26/07/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
- जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
- सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु ।
- संबंधित प्रधानाचार्य, को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक द्वारा आवेदन अवकाश प्रार्थना पत्र नियमानुसार स्वीकृत कर विदेश यात्रा हेतु प्रस्थान करावें ।
- संबंधित कार्मिक.....
- निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

--: कार्यालय आदेश :-

निम्नांकित ध्याख्याता स्कूल शिक्षा द्वारा उनके नाम के आगे अंकित परीक्षा/पद हेतु विज्ञापित भर्तियों में सम्मिलित होने हेतु विभाग से अनापत्ति चाही है। यदि इनका उक्त पद हेतु चयन हो जाता है तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

क्र.सं.	नाम भय पदस्थापन स्थान	विषय	जन्मतिथि	सम्मिलित होने वाली परीक्षा/साक्षात्कार/पद हेतु
1	डॉ कमलेश कुमार माण्डलगढ, भीलवाडा	जीव विज्ञान	19.07.1982	सहायक वन संरक्षक ग्रेड-1
2	धर्मेन्द्र कुमार नानेर टोक	जीव विज्ञान	08.03.1988	आर.ए.एस 2018, सहायक वन संरक्षक, प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा
3	दीपा कुमारी रोहिणी जायल, नागौर	रसायन विज्ञान	22.06.1989	प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में परीक्षा/साक्षात्कार
4	रामविलास शर्मा, लालसोट, दौसा	जीव विज्ञान	13.04.1988	प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में परीक्षा/साक्षात्कार
5	सुरेन्द्र सिंह बुरानिया पांचला सिद्धा नागौर	रसायन विज्ञान	08.08.1987	प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में परीक्षा/साक्षात्कार
6	रेखा चौधरी, बा.परबतसर, नागौर	जीव विज्ञान	09.09.1986	प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में परीक्षा/साक्षात्कार
7	अशोक कुमार पाटीदार, केसून्दा, प्रतापगढ	रसायन विज्ञान	01.01.1981	प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में परीक्षा/साक्षात्कार
8	स्मिता अरोडा देसूरी पाली	रसायन विज्ञान	09.01.1979	प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में परीक्षा/साक्षात्कार
9	सुरेश कुमार डेगाना, नागौर	रसायन विज्ञान	07.07.1987	प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में परीक्षा/साक्षात्कार
10	समीर नवल, मण्डौर जोधपुर	रसायन विज्ञान	09.05.1975	प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में परीक्षा/साक्षात्कार
11	सुरेश कुमार गोपीनाथ का गढा बॉसवाडा	जीव विज्ञान	19.08.1983	सहायक वन संरक्षक ग्रेड-1 सीएसआईआर/यूजीसीनेट 2019
12	जसविन्द्र कौर, से.मु.च.ब.राबाउमावि, पाली	जीव विज्ञान	02.03.1982	प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में परीक्षा/साक्षात्कार
13	भैद्याराम, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी खीवसर, नागौर	जीव विज्ञान	01.02.1989	प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में परीक्षा/साक्षात्कार
14	श्री मानसिंह शेखावत बोली सवाई माधोपुर	जीव विज्ञान	01.01.1980	प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में परीक्षा/साक्षात्कार

यदि इनका चयन उक्त सेवा में हो जाता है तो इन्हें विभाग छोड़ने से पूर्व पुनः अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य है।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक 30/07/2019

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/अनापत्ति/2019-20

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक,
02. संबंधित संस्था प्रधान
03. संबंधित कार्मिक
04. सिस्टम एनालिसिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग
05. गार्ड फंजिका


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री सतीश कुमार गर्ग, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीराम की नांगल, जयपुर जन्मतिथि 08.03.1970 दिनांक 28/06/2019 से 02/07/2019 तक 05 दिवस तक (लंदन) में विदेश यात्रा पर रहे, जिनकी दिनांक 28/06/2019 से 02/07/2019 तक 05 दिवस की कार्योत्तर स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है। शेष अवधि के अवकाश का निस्तारण नियमानुसार स्वीकृत करवाये जाने हेतु कार्यवाही अमल में लाई जावे।

1. सक्षम अधिकारी स्तर से नियमानुसार विदेश यात्रा प्रकरण में निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर ली जावे-
 - I कार्मिक के अवकाश अवधि में कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं हुआ।
 - II कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया।
 - III कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं थी।
 - IV कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं थी।
2. विदेश यात्रा की कार्योत्तर स्वीकृति उक्त अवधि हेतु ही मान्य है।
3. विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व संबंधित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नंबर आदि सूचित किया गया।
4. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया है एवं न ही राजकीय स्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई गई।
5. विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया गया।
6. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की।
7. विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की।



(नथमल डिडेल)

IAS


निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-6/राजविज्ञान/विदेश अनुज्ञा/17 दिनांक:-
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
- 4 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- 5 संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित कार्मिक.....।
- 6 निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

30/07/2019